न्यायालय लेण्डरिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या 11/2019
दायर दिनांक 21/01/2019
निर्णय दिनांक 13/08/2019

अनवान

1. श्रीमती ललीता देवी पत्नि मोहनलाल निवासी रेलमगरा

प्रार्थीया

बनाम

1 ग्राम पंचायत रेलमगरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत है कि ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा में आराजी सख्या 2908 क्षैत्रफल 04–06 बीघा प्रार्थीया के खातेदारी व अधिपत्य की चली आ रही है। यह कि प्रार्थीया की आराजी सख्या 2908 के पश्चिम दिशा में ग्राम रेलमगरा की आराजी सख्या 2906 क्षैत्रफल 01–04 बिघा आबादी ग्राम पंचायत रेलमगरा की भुमि स्थित है। यह कि प्रार्थीया अपनी कृषि आराजी संख्या 2908 के आंशिक भाग में दिवार निर्मित कर रखी है। उसके पश्चिम दिशा में भी अपनी आराजी सख्या 2908 का आंशिक भाग छोड रखा है क्योकि नक्शे में आराजी सख्या 2908 की पश्चिमी सीमा तिरछी है एवं प्रार्थीया ने अपनी आराजी में दीवार निर्मित की गई जिससे आराजी संख्या 2906 के दक्षिणी पूर्वी कोनो के पास प्रार्थी की आराजी संख्या 2908 का भाग दीवार से बाहर स्थित है जिसमें सीमा को लेकर प्रार्थीया एवं विपक्षी के मध्य किसी तहर का विवाद न हो इसलिए प्रार्थीया स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में आराजी संख्या 2906 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पत्थरगडडी करवाना चाहती है। यह कि पुर्व में प्रार्थीया ने अपनी आराजी का सीमा जानकारी भी करवाई गई जिसकी फोटो प्रति सलंग्न है। यह कि प्रार्थीया केवल मात्र प्रार्थीया की आराजी सख्या 2908 व विपक्षी की आराजी सख्या 2906

के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पत्थरगढी करवाना चाहती है जिसके लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि आज से 01 माह पूर्व प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत रेलमगरा को आराजी सख्या 2908 व 2906 के मध्य पत्थरगढी करवाने के लिये निवेदन किया गया तो ग्राम पंचायत ने बताया कि आराजी नम्बर 2906 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर हमने हमारी भूमि में रास्ते के लिए भूमि छोड रखी है जिससे वहां अत्यधिक भूमि चौडाई लिए हुए है प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवानी है वह साक्षम न्यायालय से पत्थरगढी करवाले इसमें ग्राम पंचायत को कोई लेना देना नहीं है। क्योकि प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढी करवा रही है जिससे ग्राम पंचायत का कृषि भूमि में कोई हस्तक्षैप नही है जिससे प्रार्थीया ग्राम पंचायत पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक आज से 1 माह पुर्व दिनांक 08/12/ 2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षी की आराजी संख्या 2906 के दक्षिणी पश्चिमी सीमा व प्रार्थीया के आराजी सख्या 2908 की पश्चिमी सीमा के मध्य स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप के पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया विपक्षी बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा आराजी संख्या 2906 के दक्षिणी पश्चिमी सीमा व प्रार्थीया के आराजी सख्या 2908 की पश्चिमी सीमा के मध्य पत्थर गडडी किये हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगडडी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा